

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सेन्ट्रल हिन्दू ब्वायज स्कूल (CHBS) तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल (CHGS) विद्यालयीय प्रवेश परीक्षा (एस.ई.टी.) – 2023 महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर ऑनलाइन फार्म के उपलब्ध होने की तिथि

: 25 फरवरी 2023

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि

: 30 मार्च 2023

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन (यदि कोई हो) करने की तिथि

: 31मार्च से 04 अप्रैल 2023

1. ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि : 15 अप्रैल 2023 से परीक्षा की तिथि तक

2. प्रवेश परीक्षा की तिथि एवं समय :

कक्षा IX : 26 अप्रैल 2023 (बुधवार) (प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक)

कक्षा XI गणित वर्ग : 27 अप्रैल 2023 (गुरुवार) (प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक)

कक्षा XI जीवविज्ञान वर्ग : 28 अप्रैल 2023 (शुक्रवार) (प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक)

कक्षा XI कला वर्ग : 29 अप्रैल 2023 (शनिवार) (प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक)

कक्षा XI वाणिज्य वर्ग : 30 अप्रैल 2023 (रविवार) (प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक)

3. अन्तिम उत्तर कुंजी की पोर्टल पर उपलब्धता की तिथि : 10 मई 2023

4. अन्तिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के पंजीकरण की तिथि : 11 व 12 मई 2023

5. अंतिम उत्तर कुंजी को अपलोड करने की तिथि : 25 मई 2023

6. प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि : 05 जून 2023

7. (क) प्रवेश/काउन्सलिंग की तिथि एवं समय :

कक्षा IX : 22 जून 2023 (गुरुवार) (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

कक्षा XI गणित वर्ग : 23 जून 2023 (शुक्रवार) (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

कक्षा XI जीवविज्ञान वर्ग : 24 जून 2023 (शनिवार) (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

कक्षा XI कला वर्ग : 26 जून 2023 (सोमवार) (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

कक्षा XI वाणिज्य वर्ग : 27 जून 2023 (मंगलवार) (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)

कक्षा XI पेड सीट सभी विषय वर्गों के लिए : 05 जुलाई 2023 (बुधवार) (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक)
(केवल बालकों के लिए)

(ख) प्रतीक्षा सूची हेतु काउन्सलिंग की तिथि :

कक्षा XI गणित एवं जीवविज्ञान वर्ग	: 01 जुलाई 2023 (शनिवार)
कक्षा XI कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग	: 03 जुलाई 2023 (सोमवार)
कक्षा IX	: 04 जुलाई 2023 (मंगलवार)

8. प्रतीक्षा सूची के अर्न्तगत प्रवेश / काउन्सलिंग हेतु उपस्थिति: काउन्सलिंग संबंधित तिथि पर प्रातः 9 बजे

- नोट : 1. कक्षा VI से संबंधित जानकारी बी.एच.यू. ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
2. उपर्युक्त तिथियों में परिवर्तन संभव है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सेन्ट्रल हिन्दू ब्यायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल विद्यालयीय प्रवेश परीक्षा (एस.ई.टी.)—सूचना पत्रक— 2023

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपने द्वारा संचालित सेन्ट्रल हिन्दू ब्यायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल में कक्षा IX तथा XI में विद्यार्थियों के सत्र (2023–24) में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रहा है।

1. विद्यालय

डॉ० एनी बेसेन्ट द्वारा सन् 1898 में संस्थापित सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज की आधारशिला पर जन्में सेन्ट्रल हिन्दू ब्यायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल वाराणसी शहर के हृदय-स्थल कमच्छा के विशाल भवनों में स्थापित हैं। गौरवमय अतीत को स्वयं में समाहित किए हुए ये दोनों विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से सम्बद्ध होकर बालक एवं बालिकाओं को कला, वाणिज्य, गृह विज्ञान, विज्ञान एवं कृषि वर्ग में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के साथ ही साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, व्यायाम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने में संलग्न है। दोनों विद्यालयों में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ हैं जो विद्यार्थियों को सभी प्रायोगिक विषयों में विशेष दक्षतायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की स्थल सेना एवं वायुसेना की शाखाएँ हैं, एवं छात्राओं के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण की स्थल सेना की शाखा है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का अभिन्न हिस्सा/भाग होने के कारण यहाँ के छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जो सामान्यतः विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त है। दोनों ही विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। सेन्ट्रल हिन्दू ब्यायज स्कूल परिसर में मेधावी छात्रों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है।

2. वांछित अर्हताएँ :

कक्षा IX : अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा VIII उत्तीर्ण हो तथा 30 सितम्बर 2023 को अभ्यर्थी की आयु 13 वर्ष से 15 वर्ष हो। अर्थात् जन्मतिथि 30.09.2008 से पहले तथा 30.09.2010 के बाद की नहीं होनी चाहिए।

कक्षा XI : 30 सितम्बर 2023 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो अर्थात् जन्मतिथि 30.09.2005 के पहले का नहीं होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी ने कक्षा X की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से निम्नांकित अपेक्षित प्रतिशत के अनुरूप उत्तीर्ण की हो:

बाह्य अभ्यर्थियों हेतु (जो एस.ई.टी. के द्वारा आए हों):

- (i) गणित तथा जीवविज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा X की परीक्षा में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही गणित तथा जीवविज्ञान वर्ग में प्रवेश के

लिए विज्ञान तथा गणित दोनों विषयों में पृथक्-पृथक् 50% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है।

(ii) वाणिज्य वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा X परीक्षा में कुल 55% अथवा उससे अधिक या समकक्ष ग्रेड होना अनिवार्य है।

(iii) कला वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा X उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त अर्हताओं के साथ-साथ वही अभ्यर्थी (अनु. जाति/अनु. जनजाति एवं दिव्यांग (ओ.एच.) को छोड़कर) प्रवेश के योग्य माने जायेंगे, जिन्होंने विद्यालय प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किये हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पुत्र अथवा पुत्रियों के सन्दर्भ में भी यही शर्त लागू होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग (ओ.एच.) अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 25% अंक प्राप्त करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

3. न्यूनतम सीट उपलब्धता

सेन्ट्रल हिन्दू ब्वायज स्कूल के लिए: कक्षा IX-100, कक्षा XI गणित वर्ग- 38+50*, कक्षा XI जीवविज्ञान वर्ग- 25, कक्षा XI कला वर्ग- 12, कक्षा XI वाणिज्य वर्ग- 12

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल के लिए: कक्षा IX-06, कक्षा XI गणित वर्ग- 17, कक्षा XI जीव विज्ञान वर्ग- 16, कक्षा XI कला वर्ग-40, कक्षा XI वाणिज्य वर्ग- 25

कक्षा XI के लिए सूचना :

- i. *सेन्ट्रल हिन्दू ब्वायज स्कूल में विद्यालय प्रवेश परीक्षा (SET) के माध्यम से गणित वर्ग हेतु (विश्वविद्यालय कर्मचारी श्रेणी के अतिरिक्त) 50 सीटें केवल बाह्य अभ्यर्थियों हेतु सुरक्षित रहेंगी।
- ii. सेन्ट्रल हिन्दू ब्वायज स्कूल में मेरिट सूची के आधार पर केवल 11वीं कक्षा के लिए पेड सीट श्रेणी में प्रत्येक कक्षा वर्ग में 5 सीटों का प्रावधान है। (गणित वर्ग - 20 सीटें, जीव विज्ञान वर्ग - 10 सीटें, कला वर्ग-5 सीटें, वाणिज्य वर्ग - 5 सीटें)।
- iii. उपरोक्त के अतिरिक्त दोनों विद्यालयों में बाह्य अभ्यर्थी के लिए सीट की उपलब्धता विद्यालयीय छात्रों/छात्राओं के प्रवेश पर आधारित रहेगी।

4. प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम :

कक्षा IX : प्रश्नपत्र कक्षा VIII तक के स्तर का होगा, जिसमें अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषयों में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

कक्षा XI : प्रश्नपत्र कक्षा X तक के स्तर का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषयों में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

गणित वर्ग : अंग्रेजी, हिन्दी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं सामान्य अध्ययन।

जीवविज्ञान वर्ग : अंग्रेजी, हिन्दी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन।

कला वर्ग : अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गणित एवं सामान्य अध्ययन।

वाणिज्य वर्ग : अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गणित एवं सामान्य अध्ययन।

5. आरक्षण :

विभिन्न कक्षाओं में आन्तरिक छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त उपलब्ध[#] रिक्त स्थानों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

—अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थियों के लिए 15%

—अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के लिए 7.5%

—अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – नॉन क्रीमी लेयर (NCL) अभ्यर्थियों के लिए 27%

—आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए 10%

—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति उपलब्ध न होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जाएगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :-

(अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।

(ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।

(द) उस क्षेत्र का प्राखण्डिक अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो।

(य) प्रशासक/प्रशासक-सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-(NCL) से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति/जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से होना चाहिए :- (अ) अभ्यर्थी की

जाति/जनजाति का नाम (ब) क्या वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-(NCL) का है? (स) जिला एवं राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का नाम, जहाँ का वह सामान्यतया निवासी है, और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। परन्तु, यदि कोई (SC, ST, OBC-NCL) अभ्यर्थी किसी अन्य श्रेणी में प्रवेश लेने के इच्छुक है (उदाहरणार्थ : दिव्यांग/विश्वविद्यालय कर्मचारी श्रेणी वर्ग आदि) में प्रवेश लेता/पाता है तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता को पूर्ण करना होगा।

- दिव्यांग (40% या उससे अधिक शारीरिक शिथिलता वाले) (OH) अभ्यर्थियों के लिए 3% क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगी।
- दिव्यांग (OH) अभ्यर्थियों को अपने जिले के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये 'दिव्यांगता प्रमाण-पत्र' की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- इस वर्ग के अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग के समय दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की मूलप्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करने पर अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इन अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा, जहाँ इनकी दिव्यांगता का सत्यापन/अनुमोदन होने के पश्चात ही इनका प्रवेश सुनिश्चित माना जायेगा।
- 50% स्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नियमित स्थाई कर्मचारियों के पुत्र व पुत्रियों के लिए आरक्षित होंगे। विश्वविद्यालय नियमित व स्थायी कर्मचारी श्रेणी की बची हुई सीटों पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय नियमित व स्थायी कर्मचारी श्रेणी का लाभ वर्तमान में विश्वविद्यालय में संविदा/दैनिक वेतनभोगी (जो बी.एच.यू. द्वारा सीधे भर्ती किये गये हों) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों तक भी विस्तारित होगा। इस हेतु सम्बन्धित विभाग प्रमुख द्वारा निर्गत संविदा/ दैनिक वेतनभोगी (जो बी.एच.यू. द्वारा सीधे भर्ती किये गये हों) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रवेश हेतु फार्म भरते समय उक्त संविदा/दैनिक कर्मी विश्वविद्यालय में कार्यरत होने चाहिए।
- यदि विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए आरक्षित 50% स्थानों पर कोई आन्तरिक छात्र उपलब्ध नहीं होता है तो निर्धारित विद्यालयीय प्रवेश परीक्षा (एस.ई.टी.) उम्मीदवारों की रिक्तियों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों के पुत्र अथवा पुत्रियों (आंतरिक अभ्यर्थियों को छोड़कर) के लिए उनके माता/पिता के विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी होने का एल.टी.सी. सेल, बी.एच.यू. द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- विश्वविद्यालय कर्मचारी श्रेणी कोटा का लाभ आई.आई.टी., बी.एच.यू. (IIT, BHU) कर्मचारियों के पाल्यों तक भी विस्तारित होगा जो मई 2012 से पूर्व नियुक्त हुए हों। इस हेतु कुलसचिव कार्यालय आई.आई.टी., बी.एच.यू. (IIT, BHU) द्वारा निर्गत कर्मचारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#रिक्त स्थानों की उपलब्धता विद्यालय की गृह परीक्षा/बोर्ड परीक्षा के परीक्षा-परिणाम के आधार पर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है।

कभी-कभी बाह्य छात्रों के लिए कक्षा विशेष में स्थान बिल्कुल नहीं उपलब्ध हो पाता है या फिर अत्यन्त न्यून संख्या में रिक्त हो पाता है। प्रवेश के लिए आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थियों को इस स्थिति को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए।

6. सामान्य सूचनाएँ :

- क) सेन्ट्रल हिन्दू ब्यायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल से कक्षा 10 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियमित अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध है। वे बाह्य अभ्यर्थी एवं आन्तरिक अभ्यर्थी दोनों की सुविधा नियम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यदि उन्हें आन्तरिक अभ्यर्थी के रूप में कक्षा 11 ब्यायज एवं गर्ल्स स्कूल में प्रवेश लेना है, तो निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य है, जो विद्यालय से उपलब्ध होगा।
- ख) सेन्ट्रल हिन्दू ब्यायज स्कूल तथा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल के वे नियमित छात्र/छात्राएँ जो पूरक (कम्पार्टमेन्टल) परीक्षा में शामिल होने के योग्य घोषित किए गये हैं, यदि वे यह पूरक परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो वे विद्यालय के नियमित छात्र माने जायेंगे।
- ग) यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 11 में एक से अधिक वर्ग में आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे भिन्न वर्ग के लिए अलग-अलग आवेदन फार्म भरना होगा।
- घ) एन.सी.सी. के 'ए' प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों, यदि उन्होंने प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक अर्जित किए हैं, को 3 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाएंगे।
- ङ) अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व भलीभाँति सुनिश्चित हो लें कि वे आवेदन पत्र में वांछित सभी अर्हताओं को पूर्ण करते हैं। काउन्सलिंग के समय मूल प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया प्रॉविजनल प्रवेश पत्र, उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत्य है। किन्तु प्रवेश या पात्रता के लिए अपेक्षित अंक प्राप्त कर लेना ही प्रवेश हेतु पर्याप्त नहीं माना जायेगा, जबतक वे अपेक्षित अर्हता शर्तें पूरी नहीं कर लेते।
- च) अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा आरम्भ होने से आधा घंटा पूर्व परीक्षास्थल पर पहुँचना अनिवार्य है।

7. चयन-प्रक्रिया :

- प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता सूची बनाई जायेगी एवं उसी के आधार पर कक्षा विशेष में रिक्त स्थान के अनुसार उन्हें प्रवेश दिया जायेगा। समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- कक्षा 9 तथा 11 में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को सूचना पत्रक में निर्दिष्ट तिथि को काउन्सलिंग के लिए उपस्थित होना होगा तथा योग्यता सूची के अनुसार उन्हें वांछित विषय एवं कक्षा में तबतक प्रवेश दिया जाता रहेगा, जब तक रिक्त स्थान उपलब्ध होगा। कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने इच्छित वर्ग में विषय समूह का निर्धारण तुरन्त करना होगा।

नोट : 1. अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची बी.एच.यू. के प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर प्रदर्शित कर दी जायेगी। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे योग्यता सूची में अपनी स्थिति देखें तथा काउन्सलिंग हेतु अपनी उपस्थिति वांछित अभिलेखों (मूल अंक पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र वर्ग एवं जाति प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र इत्यादि) के साथ सुनिश्चित करें।

2.(i) कक्षा IX : पात्रता परीक्षा 2023 में यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग्यता सूची में समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।

(ii) कक्षा XI : पात्रता परीक्षा 2023 में यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग्यता सूची में समान अंक प्राप्त करते हैं तो:

क. कक्षा XI में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी द्वारा कक्षा X की परिषद (बोर्ड) परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा जिसकी गणना निम्नवत् होगी –

$$\text{मेरिट (प्राप्तांक प्रतिशत)} = (\text{कुल प्राप्तांक} / \text{कुल अधिकतम अंक}) \times 100.$$

ख. ऐसे परिषद (बोर्ड) जहाँ अंक प्रतिशत रूप में प्रदान किये जाते हैं, यथा CISCE, (नई दिल्ली) वहाँ योग्यता सूची के लिए अंको की गणना निम्नवत् होगी –

$$\text{मेरिट (प्राप्तांक प्रतिशत)} = \sum \text{विषयों के प्रतिशतांक} / \text{विषयों की संख्या}$$

ग. यदि अंको का कुल योग अंक पत्र पर अंकित होगा तब प्रतिशत की गणना उसी आधार पर होगी।

घ. यदि दो या अधिक अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा के आधार पर बनी योग्यता सूची में भी समान स्थान पर आते हैं तब अंतः योग्यता सूची का निर्धारण निम्नलिखित सारणी के आधार पर होगा—

सारणी संख्या – 1

क्र.सं.	विषय समूह	अंतः योग्यता सूची के लिए विचारणीय विषय
1.	गणित	गणित में % अंक
2.	जीवविज्ञान	विज्ञान में % अंक
3.	वाणिज्य	सामाजिक विज्ञान में % अंक (CISCE बोर्ड हेतु इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा गणित के % अंको का योग)
4.	कला वर्ग	सामाजिक विज्ञान में % अंक (CISCE बोर्ड हेतु इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल के % अंको का योग)

नोट – प्रतिशत अंको की गणना दशमलव के तीन स्थानों तक होगी।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी सारणी संख्या 1 द्वारा गणना करने पर भी समान अंक/स्थान अर्जित करते हैं तब अतिरिक्त योग्यता सूची सारणी संख्या 2 में दिये विषय संयोजनों के आधार पर निर्धारित होगी –

सारणी संख्या – 2

क्र.सं.	विषय समूह	अंतः योग्यता सूची के लिए विचारणीय विषय
1.	गणित	गणित में % अंक + विज्ञान में % अंक
2.	जीवविज्ञान	विज्ञान में % अंक + गणित में % अंक
3.	वाणिज्य	सामाजिक विज्ञान में % अंक (CISCE बोर्ड हेतु इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल के % अंको का योग) + गणित में % अंक + विज्ञान में % अंक
4.	कला वर्ग	सामाजिक विज्ञान में % अंक (CISCE बोर्ड हेतु इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल के % अंको का योग) + किसी एक भाषा के प्राप्तांक जो अधिकतम हो।

नोट – प्रतिशत अंको की गणना दशमलव के तीन स्थानों तक होगी।

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी सारणी संख्या 2 के आधार पर भी समान अंक/स्थान अर्जित करते हैं तब अभ्यर्थी की आयु पर विचार करते हुए अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु वरीयता दी जायेगी।

8. प्रवेश-परीक्षा में उत्तर देने की विधि:

- (i) परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न-पुस्तिका तथा अलग से उत्तर-पत्र दिए जाएंगे।
- (ii) प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उसके प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- (iii) परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र संख्या, सेट संख्या (यदि हो) उत्तरपत्र के निर्दिष्ट स्थान पर बॉल प्वाइंट पेन से लिख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना अनुक्रमांक उत्तरपत्र में उपयुक्त अण्डाकृति में नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से अंकित करना चाहिए।
(नोट- कृपया ध्यान दीजिए रोल नं. व सेट नं. के लिए अण्डाकृति को काला करने में त्रुटि हो जाने पर उत्तर पत्र का उसी के अनुरूप मूल्यांकन किया जायेगा। पुनः ध्यान दीजिए यदि सेट नं. (यदि कोई है), रोल नं. व अन्य महत्वपूर्ण विवरण नहीं भरा गया है तो उत्तर पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक सेट नं. व रोल नं. के लिए अण्डाकृति को काला करना चाहिए।)
- (iv) परीक्षार्थी को बॉल प्वाइंट पेन से अनुक्रमांक एवं उत्तरपत्र की क्रमसंख्या प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करना है।
- (v) प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर 1,2,3 तथा 4 होंगे। परीक्षार्थी को उनमें जिसे सही उत्तर समझता है, उसका चयन करना है। उत्तरपत्र के प्रथम पृष्ठ पर वर्णित निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी द्वारा उपयुक्त उत्तर को उसके सही अण्डाकृति में नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से दर्शाना है। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न संख्या 15 के 4 वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3) तथा (4) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिए (2) का चयन करता है तो उसे उपयुक्त अण्डाकृति में निम्नोक्त प्रकार से दिखाया जाना चाहिए।

प्रश्न संख्या 15

①

●

③

④

- (vi) यदि परीक्षार्थी एक से अधिक अण्डाकृति को रंगता है तो उसका उत्तर गलत समझा जायेगा तथा यदि अण्डाकृति को काला करने की प्रक्रिया उपर्युक्त नहीं है अर्थात् उसके द्वारा प्रत्येक प्रश्नोत्तरों के लिये बनाये गये काले अण्डाकृति में एकरूपता नहीं है तो भी गलत उत्तर समझा जायेगा। मार्किंग के लिये अपनायी गयी अन्य विधियाँ, यथा टिक मार्क, क्रॉस मार्क, बिन्दु का प्रयोग, लाइनमार्क तथा आधे भरे हुये अण्डाकृति व अण्डाकृति के बाहर बनाये गये मार्क का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- (vii) परीक्षार्थी द्वारा यदि कोई प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं किया जाता है और उस प्रश्न से सम्बद्ध सभी अण्डाकृतियों को खाली छोड़ देता है। ऐसे प्रश्नों के लिए जीरो अंक प्रदान किए जाएंगे।

- (viii) परीक्षा पुस्तिका के शीर्ष आवरण के अंतर्वर्ती पृष्ठ या परीक्षा पुस्तिका के अंत के स्थान/पृष्ठ अस्वच्छ लेखन कार्य (रफ कार्य) के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं।
- (ix) परीक्षा पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ का फाड़ना या हटाना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अनुचित साधनों के प्रयोग करने की सजा का भागी होगा तथा उसे प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी :

- (अ) यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर अनुक्रमांक, सेट सं० इत्यादि लिखने में/भरने में त्रुटि करता है तो त्रुटि निवारण की कोई गुंजाइश नहीं होगी तथा उत्तर पुस्तिका तथानुसार मूल्यांकित होगी।
- (ब) प्रवेश परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका प्रदान कर दी जाएगी।
- (स) प्रश्नों/कुंजी के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

महत्वपूर्ण :

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि चूंकि उत्तर स्याही से दर्शाये जा रहे हैं अतः एक बार दर्शाये गये उत्तर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। (उत्तर में परिवर्तन के लिए व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है।)

9. कक्षा XI में उपलब्ध विषय समूह:

सेन्ट्रल हिन्दू ब्वायज स्कूल

I. विज्ञान वर्ग

गणित वर्ग :

A1: 1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित; 5. कम्प्यूटर विज्ञान।

A2, A3 एवं A4 : 1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/शारीरिक शिक्षा/संगीत (गायन)/मनोविज्ञान।

जीव विज्ञान वर्ग:

B1: 1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. जीव विज्ञान; 5. कम्प्यूटर विज्ञान/कृषि विज्ञान।

B2: 1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. जीव विज्ञान; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/गणित/शारीरिक शिक्षा/संगीत (गायन)/मनोविज्ञान।

II. वणिज्य वर्ग:

E: 1. अंग्रेजी कोर; 2. एकाउण्टेन्सी; 3. व्यवसायिक अध्ययन; 4. अर्थशास्त्र; 5. एप्लाइड गणित/संगीत (गायन)/ शारीरिक शिक्षा/कम्प्यूटर विज्ञान/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर।

III. कला वर्ग:

- F: 1. अंग्रेजी कोर/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर; 2. अंग्रेजी कोर/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/संगीत (गायन)/शारीरिक शिक्षा/भूगोल; 3. इतिहास/भूगोल/राजनीति विज्ञान/अर्थशास्त्र; 4. इतिहास/भूगोल/राजनीति विज्ञान/अर्थशास्त्र; 5. मनोविज्ञान/अर्थशास्त्र/शारीरिक शिक्षा/संगणक विज्ञान/एप्लाइड गणित/संस्कृत कोर।

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल

I. विज्ञान वर्ग

1. अंग्रेजी कोर; 2. भौतिक विज्ञान; 3. रसायन विज्ञान; 4. गणित/जीव विज्ञान; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/कम्प्यूटर विज्ञान/संगीत (गायन/सितार/तबला)।

II. वणिज्य वर्ग:

1. अंग्रेजी कोर; 2. एकाउण्टेन्सी; 3. वणिज्य अध्ययन; 4. अर्थशास्त्र; 5. हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/कम्प्यूटर विज्ञान/संगीत (गायन/सितार/तबला)/गणित।

III. कला वर्ग:

1. हिन्दी इलेक्टिव/अंग्रेजी इलेक्टिव 2. इतिहास/शारीरिक शिक्षा; 3. अर्थशास्त्र/मनोविज्ञान/गृहविज्ञान; 4. राजनीति विज्ञान/भूगोल/चित्रकला; 5. गणित/कम्प्यूटर विज्ञान/अंग्रेजी कोर/हिन्दी कोर/संस्कृत कोर/संगीत (गायन/सितार/तबला)।

टिप्पणी:

1. हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा अनिवार्य है। वैसे एक साथ दोनों भाषाएँ भी चुनी जा सकती हैं।
2. भाषाओं में से प्रत्येक या तो कोर स्तर या इलेक्टिव स्तर पर चुनी जा सकती हैं। एक ही भाषा दोनों स्तर पर एक साथ चुनने की अनुमति नहीं है।
3. विषयसमूह के चुनाव की अनुमति निश्चित रूप से प्रवेश परीक्षा सेट-2023 की योग्यता सूची के अनुरूप एवं वांछित विषय/विषय-समूह में सीटों की उपलब्धता के आधार पर ही दी जाएगी।
4. ऐच्छिक विषय के रूप में गणित (विज्ञान, वणिज्य, कला) लेने के लिए छात्र को कक्षा X में गणित विषय में 50% अथवा उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड अवश्य होना चाहिए।

10. आवेदन पत्र

विश्वविद्यालय ने इसके लिए www.bhuonline.in डोमेन नाम से प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक बी0एच0यू0 की वेबसाइट (www.bhu.ac.in) पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन बनायी गयी है। तदनुसार, अभ्यर्थी ध्यान दें कि सेट 2023 सूचना पुस्तिका एवं आवेदन पत्र का विक्रय

नहीं किया जाएगा (क्योंकि ऑफलाइन मोड नहीं होगा) और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhu.ac.in) देखें या (www.bhuonline.in) देखें।

11. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा :

अनु0जा0/अनु0 जन0जा0	₹500.00
अन्य	₹750.00

आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान का तरीका

अभ्यर्थी को सेट 2023 का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प अपनाना है।

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है।

(ब) एचडीएफसी बैंक की किसी शाखा में चालान के द्वारा प्रवेश परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकते हैं:

आवेदन पत्र भरने, जमा करने और भुगतान करने के मोड के चयन के पश्चात अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से चालान का प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट किये गये चालान में अभ्यर्थी का सभी आवश्यक विवरण, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बैंक खाते का विवरण होगा जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में निर्धारित शुल्क जमा करना है।

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में अन्य प्रक्रिया खंड 13 में दी गयी है।

टिप्पणी:

क) एस सी/एस टी अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र एस सी/एस टी श्रेणी के अर्न्तगत ही विचार किये जाएंगे।

ख) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस किया जायेगा और न ही दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अन्तरित किया जायेगा तथा आगामी वर्षों के लिए आरक्षित भी नहीं होंगे।

12. आवेदन पत्रों के ऑनलाइन उपलब्ध होने तथा प्रस्तुत करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर सेट 2023 ऑनलाइन फार्म के उपलब्ध होने की तिथि : 25.02.2023

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि : 30.03.2023

13. आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश:

सेट 2023 हेतु आवेदन पत्र बी.एच.यू. के प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाना है। आवेदन पत्र भरने तथा आवेदन शुल्क जमा करने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश बी0एच0यू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर दिये गये हैं। अभ्यर्थी को अपना फोटो, हस्ताक्षर तथा अभिभावक का हस्ताक्षर पोर्टल में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्कैन करने है और इसे अपलोड करने हैं।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने तथा कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश शुल्क के भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से आनलाईन भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर पेमेंट गेटवे द्वारा उपलब्ध है।

(ब) एचडीएफसी बैंक की किसी शाखा में चालान के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क के नगद भुगतान के माध्यम से:

आवेदन पत्र भरने और इसे जमा करने के पश्चात भुगतान हेतु इस विकल्प का चयन करने के लिए अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट किये गये चालान (दो प्रति में) में अभ्यर्थी का विवरण, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बैंक खाता का विवरण जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा और जमा की जाने वाली शुल्क राशि इत्यादि सभी आवश्यक विवरण होंगे। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा और बैंक चालान की एक प्रति अपने पास रखेगा तथा इसकी एक प्रति जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क के भुगतान सम्बन्धी आवश्यक विवरण उल्लेखित होंगे, अभ्यर्थी को वापस कर देगा। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वो चालान की एक प्रति अपने रिकार्ड के लिए रख ले। इस तरीके से, अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के बाद अभ्यर्थी आनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकेगा।

नोट:

अभ्यर्थी द्वारा ऊपर दिए गए दोनों विधियों में से किसी भी एक प्रकार से आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद ही सेट आवेदन पत्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत माना जायेगा।

आवेदन पत्र के आनलाईन प्रस्तुत करने तथा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/परीक्षा शुल्क का सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात अभ्यर्थी को आनलाईन भरे गये फार्म (जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विवरण तथा आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी लेनदेनका ब्यौरा शामिल है) का एक प्रिंट आउट प्रवेश परीक्षा पोर्टल अथवा अभ्यर्थी के ईमेल अकाउन्ट से लिया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिकार्ड के लिए अपने पास इसकी एक प्रति रखें।

14. आवेदन पत्र अस्वीकृत होने के कारण:

(i) निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क के बगैर आवेदन पत्र जमा करना।

(ii) किसी अन्य कमी के पता चलने पर।

टिप्पणी : यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु अर्ह नहीं है, तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा/मानी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र, न्यूनतम आवश्यक अर्हता सेट-2023 प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, स्थानांतरण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा संवर्ग प्रमाण पत्र (यदि हो) आदि अभिलेखों की विस्तृत जाँच प्रवेश के समय, यदि अभ्यर्थी को बुलाया गया, तो की जाएगी। अभ्यर्थी का अभ्यर्थन यदि वह अर्ह नहीं होगा तो उस समय भी निरस्त हो जाएगा।

15. जाँच सूची

आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने से पूर्व निम्नलिखित की विस्तृत जाँच कर लें :

(i) क्या आपने हस्ताक्षर, फोटो तथा अभिभावक का हस्ताक्षर स्कैन करने के पश्चात् उपयुक्त स्थान पर अपलोड किया है?

(ii) क्या आपने निर्धारित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है ?

(iii) क्या आपने सभी प्रविष्टियों की जाँच फार्म जमा करने से पूर्व भली भाँति कर ली है।

16. प्रवेश पत्र

1. प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा दिये गये ईमेल आई.डी. पर ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्र सम्बन्धी एस एम एस अलर्ट अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नं0 पर भी भेजे जाएंगे। अतएव अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पत्राचार हेतु सही ईमेल आई.डी., मोबाइल नं0 दें। इसके अलावा, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवंटित किये गये यूनिक कोड के उपयोग द्वारा बी.एच.यू. प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक डाउनलोड करने में असमर्थ हो तो उसे विद्यालय के कार्यालय से फोन नं0 0542-2450549 पर सम्पर्क करें।

2. प्रिंट आउट किए गए प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज फोटो (वही फोटोग्राफ जो ऑनलाइन भरते समय उपयोग किया गया है) चस्पा करें और इसे स्वयं प्रमाणित करें।

महत्वपूर्ण :

1. अभ्यर्थी ध्यान दें कि प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र केवल उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवंटित किये गये यूनिक कोड के उपयोग द्वारा बी.एच.यू. प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।

2. अभ्यर्थी को चाहिए कि वह प्राप्त प्रवेश पत्र में दी गयी सभी प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। किसी भी तरह की विसंगति होने पर चीफ कोऑर्डिनेटर/ कोऑर्डिनेटर सेट 2023 से फोन नं० 0542-2450549 पर सम्पर्क करें।

टिप्पणी:-

- (i) प्रवेश परीक्षा की तिथि तथा स्थान से सम्बन्धित जानकारी प्रवेश पत्र पर दी जायेगी।
- (ii) वैध प्रवेशपत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iii) परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे अपना प्रवेशपत्र परीक्षा के बाद प्रवेश होने तक सुरक्षित रखें। यदि वे काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं, तो एडमिशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जरूरत पड़ेगी।

विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश सम्बन्धी सभी विषयों में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा।

17. अति आवश्यक एवं अनिवार्य:

- i) अभ्यर्थी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संविधान/नियमों/उपनियमों जो समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, से बाध्य होगा।
- ii) किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर सेट-2023 के उत्तर पत्र के पुनरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- iii) सेट-2023 से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए स्थानीय वाराणसी या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का क्षेत्राधिकार होगा।
- iv) किसी भी संदेह की दशा में अभ्यर्थी का प्रमाणपत्र/स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जायेगा तथा गलत या जाली पाये जाने की स्थिति में प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
- (v) अपरिहार्य परिस्थितियों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया में परिवर्तन संभव है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन (स्कूल बोर्ड) का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी स्थिति में शुल्क प्रतिदेय नहीं होगा।
- (vi) सेट-2023 सूचना पत्रक में दी गई कोई सूचना, यदि सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)-2005 के अंतर्गत मांगी जाती है तो उस आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।